

न्यायालय – भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०- 04/2018-19


प्रथम पक्ष


– राम शंकर महतो पिता स्व० पलटू महतो
ग्राम-निधिया, थाना-कर्का, जिला-खूँटी।

द्वितीय पक्ष

– 1. सोमरा प्रधान भोक्ता पिता स्व० मंगरा प्रधान
ग्राम-निधिया, थाना-कर्का, जिला-खूँटी।
2. अंचल अधिकारी, कर्का।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई										
19.12.20	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-422R27/17-18 में अंचल अधिकारी, कर्का द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.17 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>निधिया</td> <td>कर्का 12</td> <td>60</td> <td>523</td> <td>0.29</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्का के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/s 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि मौजा-निधिया, थाना-कर्का के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.29 एकड़ है जिसे पलटू महतो (साहू) पिता महोदय साहू ग्राम-निधिया, थाना-कर्का ने विक्री केवाला पट्टा सं० 568/77 दिनांक 10.01.1978 द्वारा मंगरा प्रधान वल्द लाढा प्रधान ग्राम-निधिया, थाना-कर्का से क्रय किया है। वर्णित भूमि विक्रेता के दादा देवचरण भोक्ता वगैरह के नाम से दर्ज चला आ रहा है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कर्का के प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य है CNT act के तहत बिना अनुमति के खरीद बिक्री किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया कि निबंधन बिक्रय पट्टा दिनांक 10.01.1978 को निष्पादित है आवेदिक द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन वर्ष 2017-18 को अंचल कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदित भूमि अनुसूचित जाति का है। भूमि का बिक्री बिना अनुमति से की गयी है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) Proviso(b) से प्रभावित है। बिक्री हेतु सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अपील वाद अस्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी, कर्का द्वारा पारित आदेश को यथावत रखी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	निधिया	कर्का 12	60	523	0.29	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)								
निधिया	कर्का 12	60	523	0.29								


भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
खूँटी।